

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1881/2016/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स इण्डियन एस्बेस्टॉस सीमेन्ट प्रोडक्ट, अलवर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता

अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 03.04.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 74/आरवैट/2015-16/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे जांच अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा खैरवाड़ा टोल नाका, उदयपुर पर ट्रॉसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन सं. RJ06 GB 1242 से सेरेमिक टाईल्स, मोरबी गुजरात से अलवर के लिए परिवहन किया जाना पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल वाहन चालक द्वारा जारी बिल, बिल्टी और वेट-47 संख्या 2181844 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि वेट 47 कालातीत है। जांच अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2) नियम 53 का उल्लघन मानते हुए करापवंचन का मामला दर्ज कर पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) प्रेषित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नोटिस के जवाब प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी द्वारा नया वेट 47 प्रपत्र संख्या 5392976 पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य मानकर करारोपण आरोपित किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) सपटित नियम 53 का उल्लघन मानते हुए माल की कीमत 304305/- रुपये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कर रुपये 44,124/- एवं की शास्ति रु 91,292/- कुल रुपये 1,35,416/- रुपये आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 18.06.2015 के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट-47 को तकनीकी भूल

लगातार.....2.


मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया व कर के समायोजन करने के आदेश पारित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 21.04.2016 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट-47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट-47 पेश किया गया वह अवधिपार था। चूंकि उक्त प्रपत्र वेट-47 कालातीत हो गया था। अतः इसे विधि मान्य नहीं माना जा सकता। जैसाकि माननीय कर बोर्ड ने राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय में प्रतिपादित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे तकनीकी भूल मानकर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की गई है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को बहाल करने का निवेदन किया गया।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। परिवहनित माल के साथ केवल अवधिपार वेट-47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। जो कि एक तकनीकी भूल थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि नोटिस के जवाब के साथ नया वेट 47 प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा कालातीत वेट 47 को स्वीकार कर अपने निर्णय में इसे तकनीकी त्रुटि माना है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा Tax Update 40 Pg 9, VAT reporter pg 154, STC 2000 Pg212, TAX Update 35 Pg 317 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.11.2014 वाहन संख्या RJ06 GB 1242 को चैक किये जानेपर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र वेट-47 अवधिपार प्रस्तुत किया गया। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच वेट-47 कालातीत हो जाने के कारण कर व शास्ति का आरोपण किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वेट-47 सम्पूर्ण भरा हुआ था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे बोगस या मिथ्या साबित नहीं किया गया। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम 2006 के नियम 21(5) के प्रावधानों के

लगातार.....3.

तहत् उक्त घोषणा प्रपत्र वेट-47 की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की समयावधि के लिये इसे पुनः विधिमान्य किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द्र जैन एण्ड कम्पनी एसटीसी 2000 पेज 212 निर्णय दिनांक 02.03.2000 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 व राजस्थान बिक्री कर नियम 1995 के अधीन जारी फॉर्म एसटी18ए की वैधता जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक होती है किन्तु उक्त समयावधि समाप्त होने के पश्चात् इसे एक वर्ष की अवधि के लिये पुनः विधिमान्य किया जा सकता है तब शास्ति का आरोपण उचित नहीं है।" राजस्थान कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन- द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आरटीआर 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुत को एक तकनीकी अनियमितता माना है और इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक माना है। न्यायिक दृष्टांत ACTO, AE, WARD II, BANSWARA VS. M/S J.M.C. PROJECTS(e) Ltd. Udaipur Tax Update 40 Pg 9, विजयलक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बासवाडा एवं अन्य VAT reporter pg 154 तथा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2316/2011/उदयपुर मैसर्स जे.पी. फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, उदयपुर TAX Update 35 Pg. 317 में भी विवाद बिन्दु वर्तमान प्रकरण के समान निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया। इस प्रकार वेट-47 कालातीत होने के पश्चात् उसकी अवधि वैधानिक रूप से एक वर्ष तक बढ़ाने के प्रावधान होने से अवधिपार वेट-47 के आधार पर धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित करने को विधि संगत एवं न्यायोचित नहीं मानने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त विवादित बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.04.2016 की पुष्टि की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


 (राजीव चौधरी)
 सदस्य